प्रा क क थ न

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 एवं 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोजन लेखा की जॉच से उठे मामलों पर लेखा परीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहॉं आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग पर अध्याय 3 विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निर्देशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत करता है ।